

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला-बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 241 / 2014
संस्थान दिनांक 17.04.2014

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियोगी

विरुद्ध

दिनेश पिता नासरिया बारेला, आयु 30 वर्ष,
निवासी- ग्राम उपला, थाना राजपुर
जिला - बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 30.11.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 54 / 2014 अंतर्गत धारा 11 (घ) पशुकूरा निवारण अधिनियम, 1860 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म. प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192 (1) ए, 3/181 एवं 146/196 में दिनांक 17.04.2014 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 06.03.2014 को समय दिन के 14:05 बजे, करामतपुरा केरवा रोड़, ग्राम केरवा में वाहन टाटा मैजिक क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 5954 में नग 02 बैलों को मारपीट कर कूरातापूर्वक मुँह-पैर बांधकर ले जाने, गौवंश के 02 बैलों को वध के प्रयोजन हेतु या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या वध किये जाने की संभावना है, वाहन टाटा मैजिक क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 5954 में वध हेतु अन्य राज्य महाराष्ट्र की ओर परिवहन करते पाये जाने तथा गौवंश के नग 02 बैलों को वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या किये जाने की संभावना है, उन्हें वाहन टाटा मैजिक क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 5954 में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर वध हेतु उनका परिवहन करने के संबंध में धारा 11 (घ) पशु कूराता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 06.03.2014 को प्रधान आरक्षक हरिओम यादव को ग्राम केरवा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वाहन टाटा मैजिक क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 5954 का चालक अपने वाहन में बैलों को ठूस-ठूसकर क्रूरतापूर्वक भरकर वध हेतु महाराष्ट्र की ओर कच्चे रास्ते से लेकर जा रहा है। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर राहगीर पंचान बारकू एवं अनिल को सूचना से अवगत कराया तथा साथ लेकर करामतपुरा रोड़ पर पहुँचे जहाँ सामने से एक वाहन वाहन टाटा मैजिक क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 5954 आया जिसे रोककर चेक करते वाहन में त्रिपाल ढंकी होकर त्रिपाल को हटाकर देखा जिसमें 2 बैल जिनके मुँह एवं पैर बंधे होकर क्रूरतापूर्वक वाहन में भरे पाये गये थे। पुलिस द्वारा वाहन चालक से उसका नाम पता पूछने पर उसने उसका नाम दिनेश निवासी— उपला होना बताया। अभियुक्त से बैलों को ले जाने के संबंध में परमिट पूछने पर नहीं होना बताया तथा अभियुक्त दिनेश से पूछने पर बैलों को वध हेतु महाराष्ट्र वधशाला ले जाना बताया। साक्षियों के समक्ष पुलिस द्वारा 02 बैलों, रस्सी तथा वाहन टाटा मैजिक क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 5954 को जप्त कर प्रदर्शनी 2 का जप्ती पंचनामा बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त दिनेश को गिरफ्तार कर प्रदर्शनी 3 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया व अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 54/2014 अंतर्गत धारा 4, 6 एवं 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं धारा 11 (घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शनी 6 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। पुलिस ने प्रकरण के अनुसंधान के दौरान साक्षी बारकू एवं अनिल के कथन लेखबद्ध किए तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरान्त प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 11 (घ) पशुक्रूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :—

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 06.03.2014 को समय दिन के 14:05 बजे, करामतपुरा केरवा रोड़, ग्राम केरवा में वाहन टाटा मैजिक क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 5954 में नग 02 बैलों को मारपीट कर क्रूरतापूर्वक मुँह—पैर बांधकर ले जा रहे थे ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर गौवंश के 02 बैलों को वध के प्रयोजन हेतु या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या वध किये जाने की संभावना है, वाहन टाटा मैजिक क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 5954 में वध हेतु अन्य राज्य महाराष्ट्र की ओर परिवहन करते पाये गये ?

3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर गौवंश के नग 02 बैलों को वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या किये जाने की संभावना है, उन्हें वाहन टाटा मैजिक क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 5954 में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर वध हेतु उनका परिवहन किया ?

यदि हां, तो उचित दंडाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में डॉ. शिवकुमार दागोड़े (अ.सा.1), बारका उर्फ बारकू (अ.सा.2), अनिल (अ.सा.3) प्रधान आरक्षक हरिओम यादव (अ.सा.4) के कथन लेखबद्ध कराए गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सह संबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। प्रधान आरक्षक हरिओम यादव (अ.सा.4) ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 06.03.14 को वह थाना ठीकरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था तथा देहात गश्त पर ग्राम केरवां में दोपहर 2 बजे था, वहाँ उसे मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति वाहन टाटा मैजिक क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 5954 में अवैध रूप से बैल भरकर महाराष्ट्र की ओर कच्चे रास्ते से वध करने हेतु ले जा रहा है, इस सूचना पर विश्वास कर उसने पंच साक्षी बारकू तथा अनिल निवासी ग्राम उपला को बुलाया और उन्हें मुखबिर की सूचना से अवगत कराया तथा साथ लेकर मुखबिर के बताये स्थान करामतपुरा रोड़ ग्राम केरवा पहुँचे, जहाँ थोड़ी देर में सामने से उक्त टाटा मैजिक वाहन आता दिखाई दिया, जिसे पंच साक्षियों की मदद से रोका तथा चालक को पकड़कर उसका नाम पता पूछने पर उसने दिनेश पिता नासरिया

बारेला निवासी ग्राम उपला का होना बताया तथा उक्त वाहन को चेक करने पर उसमें 2 बैल सफेद रंग के कूरतापूर्वक बंधे पाये गये, जिनके मुँह एवं पैर रस्सी से बंधे हुए पाये गये। उससे बैलों के परिहवन संबंधी परमिट का पूछने नर नहीं होना बताया तथा बैलों को महाराष्ट्र राज्य ले जाना बताया। उसने अभियुक्त के कब्जे से उक्त वाहन टाटा मैजिक क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 5954 उसमें भरे नग 2 सफेद रंग के बैल तथा 6 नग रस्सी के टुकड़े प्रदर्शपी 2 के अनुसार जप्त किये थे जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था तथा साक्षी बारकू एवं अनिल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे व जप्त बैल, वाहन तथा अभियुक्त को साथ लेकर थाना ठीकरी पहुँचा जहाँ अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 54/14 प्रदर्शपी 6 का दर्ज किया था जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने जप्त बैलों को भगवानपुरा गौशाला अस्थाई सुपुदर्गी पर दिये तथा उनका मेडिकल परीक्षण कराने हेतु पशु चिकित्सक को प्रदर्शपी 7 का पत्र प्रेषित किया था। उसने जप्त टाटा मैजिक वाहन को राजसात करने हेतु पुलिस अधीक्षक बड़वानी के द्वारा कलेक्टर बड़वानी को पत्र भेजा था तथा पुलिस अधीक्षक बड़वानी द्वारा दिनांक 15.03.14 को कलेक्टर बड़वानी को प्रदर्शपी 8 का पत्र भेजा था। उसने प्रकरण में रवानगी रोजनामचे एवं वापसी रोजनामचे की प्रति पेश की है जो प्रदर्शपी 9 एवं 10 है।

8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना के समय वह हेड मोहररीर था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन में घटना का समय दोपहर 2:05 बजे बताया गया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसके अनुसार घटना गुरुवार के दिन की है जिस दिन ग्राम सुन्देल में बैल बाजार लगता है और आसपास के कृषक उक्त बाजार में पशुओं का क्रय-विक्रय करने के लिए जाते हैं। साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया कि जप्तशुदा बैल कृषि उपयोगी थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने त्रिपाल एवं रस्सी जप्त नहीं की थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने साक्षी अनिल एवं बारकू जो सुन्देल से बैलों को ला रहे थे उनको थाने पर बुलाकर प्रदर्शपी 3 एवं 4 के पंचनामों पर हस्ताक्षर करवा लिये थे अथवा उनके कोरे पंचनामों पर हस्ताक्षर करवा लिये थे अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

9. डॉ शिवकुमार असा 1 का कथन है कि दिनांक 07.03.2014 को उसने थाना ठीकरी के पत्र के आधार पर वृंदावन गौशाला ठीकरी पहुँचकर नग 2 बैलों का परीक्षण किया था और उक्त दोनों ही बैलों के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। उक्त दोनों ही बैल कृषि कार्य करने के लिए उपयोगी थे। साक्षी ने उसका परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि यदि बैलों को लंबी दूरी पर सख्त व पक्की सड़क पर चलाया जाये तो उनके खुरों की कार्यक्षमता कम हो सकती है।

10. बारकु असा 2 तथा अनिल असा 3 अभियुक्त से उक्त बैलों को जप्त करने के साक्षीगण हैं किन्तु उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियुक्त को पहचानने या उनके सामने अभियुक्त से कोई भी बैल जप्त करने से स्पष्ट इंकार किया है। अभियोजन के मामले का पूर्णतः खण्डन किया है। न्यायालय द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि घटना दिनांक को वे दोनों केरवा से जा रहे थे तब थाना ठीकरी के प्रधान आरक्षक यादव ने उन्हें यह बताया था कि एक व्यक्ति टाटा मैजिक में बैल भरकर वध करने जा रहा है। साक्षियों ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि फिर वे दोनों यादव के साथ कच्चे रास्ते से ग्राम करेवा गये और पुलिस ने उनके सामने 2 बैल रस्सी से बंधे हुए जप्त किये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उक्त व्यक्ति से अपना नाम पूछने पर दिनेश पिता नासरिया निवासी ग्राम उपला होना बताया था। यहाँ तक कि साक्षियों ने पुलिस को कोई भी कथन देने से इंकार किया है तथा इस सुझाव से भी इंकार किया कि वे अभियुक्त को बचाने के लिए असत्य कथन कर रहे हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि वे कृषि कार्य करते हैं तथा सुन्देल बैल बाजार से कृषि युक्त बैल क्रय कर लाते हैं तथा वाहन में या पैदल बैल ले जाना पड़ता है।

11. ऐसी स्थिति में जबकि अभियुक्त से उक्त बैलों को जप्त किये जाने के दोनों ही साक्षी बारकु एवं अनिल ने उनके सामने पुलिस द्वारा अभियुक्त से उक्त 2 बैल जप्त करने से स्पष्ट इंकार किया तथा अभियोजन के मामले का पूर्णतः खण्डन किया है। हरिओम यादव असा 4 ने स्वयं प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि ग्राम सुन्देल में बैल बाजार लगता है जहाँ से कृषक लोग पशु क्रय करके ले जाते हैं। साक्षी स्वयं की स्वीकारोक्ति से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन टाटा मैजिक क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 5954 में 2 बैलों को वध करने के आशय से क्रूरतापूर्वक भरकर उसका वध हेतु परिवहन म.प्र. राज्य के बाहर या भीतर कर रहा था।

12. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त दिनेश के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित तीनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त को शंका का लाभ देते हुए धारा 11 (घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन टाटा मैजिक क्रमांक एम.पी. 09 एल. पी. 5954 एवं जप्तशुदा बैलों के संबंध में राजसात की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जा रही है। अतः उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आदेश नहीं किया जा रहा है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला—बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 572/2013 (शासन पुलिस ठीकरी विरुद्ध शेख आरिफ आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ—

अभियुक्त का नाम :- शेख आरिफ पिता इमाम, आयु 30 वर्ष,
निवासी— मदिना मस्जिद के पास,
अजन्ता, थाना अजन्ता, तहसील सिल्लौद,
जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

गिरफ्तारी का दिनांक :- 24.08.2013

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त दिनांक 24.08.2013 से दिनांक 14.09.2013 तक रहा है। इस प्रकार अभियुक्त ने न्यायिक अभिरक्षा में कुल 21 दिवस बिताये हैं।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला—बड़वानी, म0प्र0

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 572/2013 (शासन पुलिस ठीकरी विरुद्ध शेख आरिफ आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ—

अभियुक्त का नाम :- शेख शरीफ पिता इमाम, आयु 35 वर्ष,
निवासी— मदिना मस्जिद के पास,
अजन्ता, थाना अजन्ता, तहसील सिल्लौद,
जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

गिरफ्तारी का दिनांक :- 24.08.2013

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त दिनांक 24.08.2013 से दिनांक 14.09.2013 तक रहा है। इस प्रकार अभियुक्त ने न्यायिक अभिरक्षा में कुल 21 दिवस बिताये हैं।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

14. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्तों के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित दोनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्तों को शंका का लाभ देते हुए धारा 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, धारा 6-क/10 मध्यप्रदेश कृषिक पशु परीक्षण अधिनियम एवं धारा 6/9 मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

15. प्रकरण में जप्तशुदा 21 बैल दिनांक 20.01.2010 को उसके पंजीकृत स्वामी/आवेदक राजेन्द्र पिता बाबुलाल यादव, निवासी-बिलवाडेब को सुपुर्दीनामे पर दिये गये हैं। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा बैल/केड़ों का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

15. प्रकरण में जप्तशुदा 2 बैल एवं जप्तशुदा टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.एन. 0850 के संबंध में राजसात की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जा रही है। अतः उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आदेश नहीं किया जा रहा है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(मसूद एहमद खान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड़, जिला बडवानी

(मसूद एहमद खान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड़, जिला बडवानी